



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं.- विविध/1/2018/जयपुर
 विविध/2/2018/जयपुर
 विविध/3/2018/जयपुर
 विविध/4/2018/जयपुर

उनवान- इण्डियन होटल्स कम्पनी लि. बनाम 1) अपीलीय अधिकारी-द्वितीय, वा.कर, जयपुर
 2) स.आ. प्रतिकरापवंचन-तृतीय, राज., जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए																				
12.02.2018	<p>खण्डपीठ श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह चारों विविध प्रार्थना पत्र मूल अपील संख्या 1045, 1046, 1047, 1048/2016/जयपुर में राजस्थान कर बोर्ड खण्डपीठ द्वारा दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 20.06.2016 के क्रम में प्रस्तुत की गई हैं। संदर्भित आदेश द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निम्नलिखित राशि हेतु स्थगन जारी किया गया-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>अपील संख्या</th> <th>क.नि. वर्ष</th> <th>स्थगित राशि (रु.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1045/16</td> <td>2011-12</td> <td>17,00,050</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1046/16</td> <td>2012-13</td> <td>19,60,375</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>1047/16</td> <td>2013-14</td> <td>18,15,292</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>1048/16</td> <td>2014-15</td> <td>18,66,206</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने जाहिर किया कि अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार बैंक गारण्टी पेश कर दी गई थी जो कि दिनांक 31.03.2017 तक ही वैध थी। तत्पश्चात् कम्पनी के सीनियर मैनेजमेन्ट में फेर बदल के कारण दिनांक 31.03.2017 के पश्चात् नवीनीकृत बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी जो कि कम्पनी ने स्वमेव ही दिनांक 13.10.2017 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी जो दिनांक 31.03.2018 तक वैध हैं। दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 13.10.2017 तक नवीनीकृत बैंक गारण्टी पेश नहीं हो सकने के व्यतिक्रम को उन्होंने क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए स्थगन को निरन्तर बनाये रखने का अनुरोध किया।</p> <p>प्रकरण के समग्र तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाये जाने पर कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 13.10.2017 की अवधि में अपरिहार्य कारणवश Renewed Bank Guarantees पेश नहीं की जा सकी थी, अतः इस व्यतिक्रम को Regularize करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 13.10.2017 को प्रस्तुत बैंक गारण्टी नियमानुसार पाये जाने की दशा में स्थगन आदेश दिनांक 20.06.2016 प्रचलन में रहेगा।</p> <p>ये इस चारों विविध अपीलें स्वीकार की जाकर इनका निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div>	क्र.सं.	अपील संख्या	क.नि. वर्ष	स्थगित राशि (रु.)	1.	1045/16	2011-12	17,00,050	2.	1046/16	2012-13	19,60,375	3.	1047/16	2013-14	18,15,292	4.	1048/16	2014-15	18,66,206	
क्र.सं.	अपील संख्या	क.नि. वर्ष	स्थगित राशि (रु.)																			
1.	1045/16	2011-12	17,00,050																			
2.	1046/16	2012-13	19,60,375																			
3.	1047/16	2013-14	18,15,292																			
4.	1048/16	2014-15	18,66,206																			